हरियाणा सरकार

प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 मार्च, 2016

संख्या 5/4/2008-1ए0आर0.– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 22), की धारा 27 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सूचना का अधिकार नियम, 2009, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. यह नियम हरियाणा सूचना का अधिकार (संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सूचना का अधिकार नियम, 2009 में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"5 **फीस की प्रमात्रा। धारा 6 तथा 7.–** (1) धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन कोई सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ दस रुपए की फीस लगाई जाएगी तथा सामान्यतः अनुलग्नकों, राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा उस आवेदक के पता सहित पांच सौ शब्दों से अधिक नहीं होंगे :

परन्तु कोई भी आवेदन केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि इसमें पांच सौ शब्दों से अधिक दिए गए हैं।

(2) धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, आवेदक से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात् :–

(क) ए–4 या ए–3 आकार के कागज पर बनाई गई या प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपए ; तथा

(ख) यदि सूचना खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न बड़े आकार के कागज पर उपलब्ध करवाई जानी है, तो ऐसे कागज की वास्तविक लागत प्रभारित की जाएगी।

(3) धारा 7 की उप–धारा (5) के अधीन सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, आवेदक से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात् :–

(क) फ्लोपी में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए पचास रुपए ;

(ख) डिस्किट में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए पचास रुपए ; तथा

(ग) यदि चाही गई सूचना ऐसे स्वरूप की है, जोकि मुद्रित दस्तावेज में है, जिसकी कीमत नियत की गई है, तब वह सूचना उस मुद्रित दस्तावेज के लिए नियम कीमत प्रभारित करने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। तथापि, यदि ऐसे मुद्रित दस्तावेज का केवल उद्धहरण या पृष्ठ मांगा गया है, तब प्रति पृष्ठ दो रुपए की फीस प्रभारित की जाएगी।

(4) अभिलेख के निरीक्षण के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी, यदि ऐसा निरीक्षण केवल एक घण्टे के लिए किया गया है। तथापि, यदि निरीक्षण एक घण्टे की अवधि के लिए किया गया है, तो प्रत्येक पश्चात्वर्ती प्रत्येक घण्टे या उसके भाग के लिए पांच रुपए फीस प्रभारित की जाएगी।"।

डी० एस० ढेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 18th March, 2016

No. 5/4/2008-1AR.– In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (Central Act 22 of 2005), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Right to Information Rules, 2009, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Right to Information (Amendment) Rules, 2016.

2. In the Haryana Right to Information Rules, 2009, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

"**5. Quantum of fee. Sections 6 and 7.—** (1) An application for obtaining any information under Sub-section (1) of Section 6 shall be accompanied with a fee of ten rupees and shall ordinarily not contain more than five hundred words excluding annexure, address of the State Public Information Officer and that of the applicant:

Provided that no application shall be rejected only on the ground that it contains more than five hundred words.

(2) For providing information under Sub-section (1) of Section 7, the fee shall be charged from the applicant at the following rates, namely:-

(a) two rupees for each page in A-4 or A-3 size paper, created or copied; and

(b) if information is to be provided on a large size of paper than that of specified in clause (a), the actual cost price of such a paper shall be charged.

(3) for providing information under Sub-section (5) of Section 7, the fee shall be charged from the applicant at the following rates, namely:-

(a) fifty rupees for providing information in a floppy;

(b) fifty rupees for providing information in diskette; and

(c) if information sought is of such a nature, which is contained in a printed document of which a price has been fixed, then that information shall be provided after charging the price, fixed for that printed document. However, if only an extract or page of such a printed document is asked for, then a fee of two rupees per page shall be charged.

(4) No fee for inspection of record shall be charged, if such an inspection is made for one hour only. However, if inspection is made for a period of more than one hour, then a fee of five rupees shall be charged for every subsequent hour or fraction thereof."

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government, Haryana.

54169—C.S.—H.G.P., Chd.